कार्यालय मुख्य अभियन्ता
वाह्य सहायतित परियोजना,
लो0नि0वि0, लखनऊ

पत्रांकः— 78/CAMP-CEEAP/2022 दिनांकः 04.08.2022

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग

विषयः—लोक निर्माण विभाग के टेण्डर प्रकिया में पारदर्शिता एवं शुचिता लाने हेतु "प्रहरी" एप्लीकेशन के उपयोग के संबंध में।

संदर्भः—शासनादेश संख्या /2020/879/तेईस—7—2020—176(सा0)/06 दिनांक 25.08.2020

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित शासनादेश का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके बिन्दु—3(1) में यह व्यवस्था दी गयी है कि "यदि प्रहरी पर किसी ठेकेदार द्वारा कोई गलत सूचना अपलोड की जाती है, जो किसी स्तर पर, यदि संज्ञान में आती है तो निविदा समिति की संस्तुति पर सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित ठेकेदार की ब्लैक—लिस्टिंग की कार्यवाही की जायेगी "

चूंकि ठेकेदार द्वारा प्रहरी पोर्टल पर अपलोड किये गये प्रपत्रों का सत्यापन स्थानीय स्तर पर किया जाता है। अतः सत्यापनोपरान्त सूचना गलत पाये जाने पर ठेकेदार को ब्लैक—लिस्टिंग करने की कार्यवाही निविदा समिति की संस्तुति पर उपरोक्तानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा की जानी अपेक्षित है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न प्रारूप पर ब्लैक—लिस्टिंग किये जाने की सूचना अपने अधीनस्थ से प्राप्त कर संकलित सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि शासन के पत्रांक 661/तेईस—7—2022 दिनांक 22.07.2022 की अनुपालन आख्या प्रेषित की जा सके। यह प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संवेदशील है। अतः इस पर आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार

4.8.22

(वी0के0जैन)
मुख्य अभियन्ता
वाह्य सहायतित परियोजना/
प्रहरी निस्तारण समिति

प्रतिलिपिः— प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
वाह्य सहायतित परियोजना/
प्रहरी निस्तारण समिति

लोक निर्माण विभाग के टेण्डर प्रकिया में पारदर्शिता एवं शुचिता लाने हेतु ''प्रहरी'' एप्लीकेशन के उपयोग के संबंध में

क0सं0	जनपद का नाम	सत्यापनोपरान्त गलत सूचना अपलोड करने वाले ठेकेदारों की संख्या	निविदा समिति द्वारा ब्लैक–लिस्टिंग की संस्तुति किये गये ठेकेदारों की संख्या	सक्षम अधिकारी द्वारा लैक–लिस्टिंग की संस्तुति किये गये ठेकेदारों की संख्या	टिप्पणी
1.					